न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2025(रसद) **(GCMS 2025/73)**	**28.03.2025**	**30.04.2025**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

हरीश मीणा पिता भगतराम मीणा निवासी जालिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.02.2025 को संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार ग्राम औछडी में अवैध गोदाम में यूरिया खाद के भण्डार के बारे में शिकयत पर कार्यवाही की गई। मय पुलिस जाप्ता के अवैध गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में अवैध पडे यूरिया का लाईसेंस नहीं होना, क्रय विक्रय के वाउचर के संबंध में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना एवं इसके संबंध में विपक्षी द्वारा कोई उचित संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने से कुल 1980 बैग की सुपुर्दगी हिम्मत सिंह सहायक उप–निरीक्षक थाना सदर को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु दी गई। विपक्षी से जब्तशुदा सामग्री जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न पर्चा मौका एवं सूची अनुसार अनुसार हैं के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा उक्त कृत्य किया जाकर उर्वरक भण्डारण/कारोबार में उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं, इस संबंध में पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 060/2025 दिनांक 18.02.2025 अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, अन्तर्गत धारा 7 व 8 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं अन्तर्गत धारा 318(2) भारतीय न्याय संहिता (बी. एन.एस.) 2023 के दर्ज करवाई गई है, एवं अंत में प्रार्थी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना की गई कि परिशिष्ट–5 अनुसार जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/1834 दिनांक 22.04.2025 से निवेदन किया गया हैं कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा यूरिया खाद के 1980 कट्टे थाना परिसर में खुले में पडे हुये है, जो बारसात होने पर खराब होकर नष्ट हो जायेगें, अतः श्रीमान् प्रकरण में जब्तशुदा खाद का नियमानुसार निस्तारण कराना फरमावें। थानाधिकारी सदर चित्तौड़गढ़ का उक्त पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। दिनांक 30.04.2025 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का सुना गया।

पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 060/2025 दिनांक 18.02.2025 अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, अन्तर्गत धारा 7 व 8 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं अन्तर्गत धारा 318(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 में जब्तशुदा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GB 5931** के संबंध में प्रार्थी कमलेश कुमार पिता जगदीशचन्द्र जाति सुथार निवासी बिछोर तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ ने जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497–503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 013/2025(रे.वि.) दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है, उक्त प्रार्थना–पत्र के प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी वाहन का अधिकृत वाहन स्वामी है तथा पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में वजह सबूत अपनी तहवील में ले रखा हैं, जिसका प्रार्थी एक मात्र अधिकृत वाहन स्वामी है। जब्तशुदा वाहन की पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ को कोई आवश्यकता नहीं हैं, उक्त वाहन की मासिक किश्ते प्रार्थी को उक्त वाहन से ही कमा कर अदा करनी होती हैं, यदि वाहन समय रहते नहीं छुटा तो प्रार्थी को अकथनीय आर्थिक क्षति होगी तथा प्रार्थी गरीब परिवार का है तथा उस पर परिवार की जिम्मेदारिया है एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थी को जब्तशुदा वाहन को सिपुर्दगीनामें व जमानतनामा पर सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 497–503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से प्रार्थना–पत्र पर टिप्पणी/अभिमत एवं अनुसंधान पत्रावली हेतु लिखा गया। इस पर पुलिस थाना थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/1835 दिनांक 22.04.2025 से टिप्पणी/अभिमत मय अनुसंधान पत्रावली के प्रेषित किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 013/2025(रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन की प्रकरण में अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है।

हस्तगत दोनों प्रकरणों के पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 060/2025 दिनांक 18.02.2025 में जब्तशुदा वाहन एवं सामग्री के निस्तारण का प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/7095-97 दिनांक 18.02.2025 से गठित कमेटी द्वारा मय पुलिस जाब्ता के गौदाम का निरीक्षण करने पर गौदाम के स्वामित्व श्री सत्यनारायण जागेटिया द्वारा विपक्षी को किराये देना बताया गया एवं किराया नामा प्रस्तुत किया गया जो कि पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण के दौरान भारतीय जन उर्वरक नीमकोटेड यूरिया के 45-45 किलोग्राम पैकिंग के यूरिया बैग पाये गये उक्त यूरिया उर्वरक के संबंध में मौके पर विपक्षी से अनुज्ञापत्र मांगने पर विपक्षी द्वारा अनुज्ञापत्र के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गई । उर्वरक के संदर्भ में क्रय वाउचर एवं स्टॉक में होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यूरिया के कुल 1980 कट्टे पाये गये एवं मौके पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ व बिना प्रिंट के कट्टे भी मौजूद थें। यूरिया उर्वरक की गुणवत्ता परीक्षण के लिए नियमानुसार मौके पर 1 नमूना आहरित कर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अधिसूचित राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर के पत्रांक/2839 दिनांक 03.03.2025 से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना मानक घोषित किया गया है। इस प्रकर पुलिस द्वारा पूछताछ पर उक्त सामग्री विपक्षी की होना बताया गया है। विपक्षी का उक्त कृत्य उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि पत्रावली पर उपलब्ध परिशिष्ट-5 अनुसार जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस समाप्त की गई।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि जब्तशुदा सामग्री विपक्षी से से जब्त नहीं की गई और विपक्षी का जब्तशुदा सामग्री से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। आवेदक द्वारा राजनैतिक कारणों से उक्त झूठा प्रकरण दायर किया जाकर पेश किया है जो कि खारीज किये योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर प्रार्थना–पत्र 013/2025(रे.वि.) के अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा उक्त वाहन थाना परिसर में पडा हुआ है जिसके धूल, धूप, बरसात आदि में खराब होने की पूर्ण संभावना है। उक्त वाहन को जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावेगा तो प्रार्थी स्वयं के खर्चे पर उक्त वाहन को पेश करेगा। अतः उक्त वाहन उचित सिपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पर रिलीज किये जाने का आदेश फरमावें। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावलियों का आद्योपांत अवलोकन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन/परीक्षण/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/अवलोकन/परिशीलन किया। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती का अवलोकन किया। कृषि अधिकारी द्वारा गौदाम का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में पत्रावली पर उपलब्ध परिशिष्ट–5 के अनुसार यूरिया अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त यूरिया के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा न्यायालय को समक्ष किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया हैं, जिससे आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं होना पाया गया है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित पाया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री के संबंध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 060/2025 दिनांक 18.02.2025 पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज की जाकर वर्तमान में समक्ष न्यायालय में जैरकार है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा यूरिया का अवैध भण्डारण कर उर्वरक (कार्बनिक अकार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 (सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा पत्रावली पर उपलब्ध परिशिष्ट–5 अनुसार राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पंजीकृत स्वामी को विहित शर्तो पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 060/2025 दिनांक 18.02.2025 अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, अन्तर्गत धारा 7 व 8 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं अन्तर्गत धारा 318(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GB 5931**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इंजन नंबर **61F84320208** चेचीस नंबर **MAT447224G5G12529** को प्रार्थी कमलेश कुमार पिता जगदीशचन्द्र जाति सुथार निवासी बिछोर तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ रूपये 15,00,000/- अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर विहित शर्तों पर सिुपर्दगी में दिये जाने का आदेश जाता है। संबधित प्रार्थी द्वारा आदेशानुसार अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर संबंधित प्रकरण प्रार्थना-पत्र 013/2025(रे0वि0) अनवानी कमलेश बनाम सरकार में वाहन सिपुर्द किये जाने बाबत् तहरीर जारी हो तथा प्रकरण में जब्तशुदा यूरिया कुल 1980 कट्टे (परिशिष्ट-5) अनुसार राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित यूरिया कुल 1980 कट्टे (परिशिष्ट-5) थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति प्रकरण संख्या 013/2025(रे.वि.) अन्तर्गत धारा 497-503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 में संलग्न की जावें तथा उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ को मय अनुसंधान पत्रावली के भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.04.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official